किसान को चाहिए बेहतर कीमत

डॉ. आनन्द किशोर

8 जनवरी को देश के किसान संगठनों ने राष्ट्रीय स्तर पर 'ग्रामीण भारत बंद' आन्दोलन कर किसानों की मांगों को सरकार के संज्ञान में लाने का मजबूत प्रयास किया था। इस बाबत आन्दोलन के क्रम में सभी कस्बों तथा जिलों से प्रथम सप्ताह के 5 जनवरी तक राष्ट्रपति के यहां भी पत्र भेजकर किसानों की समस्याओं पर सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। किसानों की समस्याएं दिनानुदिन गंभीर बनती जा रही है और अपनी समस्याओं के प्रति किसानों में जागरूकता भी बढ़ी है। किसान अपने दुखों पर सवाल खड़ा करने से नहीं चूकते। बावजूद किसान अपनी उपेक्षा से दुखी हैं। हालांकि उन्हें आने वाले आम बजट से ढेरों उम्मीदे हैं।

हाल ही में सरकार के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2016 में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा जारी किया है, जिसमें हर माह 948 तथा हर दिन 31 किसानों की आत्महत्या का खुलासा हुआ है। एक तो सरकार ने तीन वर्ष पूर्व का आंकड़ा जारी किया है और उसमें भी किसान और मजदूरों की आत्महत्या का आंकड़ा अलग-अलग कर आंकड़े को कम दिखाने का प्रयास किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आंकड़े इससे अधिक ही होंगे। देश में किसानों की आत्महत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है और सरकार को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसके अलावा किसानों के कई सवाल सरकार के समक्ष लंबित हैं, जिसका किसानों के जीवन से सीधा सबंध है। किसानों के कृषि उत्पादों की बढ़ती लागत के बावजूद कृषि उत्पादों के सीटू फार्मूले पर ड्योढा दाम तथा सभी प्रकार के कृषि ऋणों से मुक्ति की मांग ज्यों की त्यों है, उल्टे जो भी एमएसपी तय हो रहा है उसपर भी कुछ राज्यों को छोड़कर कोई सरकारी खरीद नहीं हो रही है। किसान औने-पौने भाव में बिचौलियों के मार्फत अपना कृषि उत्पाद बेचने को विवश है।

वाणिज्यिक फसल गन्ना के एफआरपी में केंद्र तथा एसएपी में राज्य सरकारों ने नये पेराई सत्र में कोई मूल्य वृद्धि नहीं की है। पिछले वर्ष के हजारों करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान लंबित है। बिजली दर, डीजल, मजदूरी, उर्वरक, कीटनाशकों तथा बीजों की बढ़ती कीमतों से खेती की लागत बढ़ती जा रही है। कृषि उत्पादन लागत में कमी की दिशा में कोई ठोस सरकारी प्रयास नहीं है। नदी जलप्रबंधन तथा सिंचाई के विस्तार की दिशा मे प्रयास शिथिल है।

लघु तथा सीमांत किसानों की संख्या में 10वीं कृषि जनगणना 2015-16 के आंकड़ों में 9० लाख की वृद्धि के बाद 84.6 फीसद से बढ़कर 86.2 फीसद हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि 2019 की दूसरी तिमाही में कृषि अर्थव्यवस्था 4335.47 अरब रुपये थी, जो तीसरी तिमाही में गिरकर 3651.61 अरब पर पहुच गई है, जबकि 2011 से 2019 तक कृषि अर्थव्यवस्था का औसत 4126.42 था यानी कृषि की स्थिति दिनानुदिन कमजोर होकर करीब 2 फीसद विकास दर के आसपास है। कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करके भी प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना संजोये हुए हैं, जबकि अभी देश की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री के सपने से आधे से थोड़ा अधिक 2.9 ट्रिलियन की ही है और विशेषज्ञ का मानना है कि 5 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए अर्थव्यवस्था को कम-से-कम 8 फीसद का विकास दर चाहिए।

देश के सबसे बड़े क्षेत्र कृषि की उपेक्षा कर यह मुकाम पाना नामुमकिन है। पिछले आम बजट को ही देखा जाए तो वित्त मंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर बजट की शुरुआत की और कहा बजट का केंद्र गांव, गरीब तथा किसान होगा। किसानों की आत्महत्या को रोकेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, मंडी कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होगी, किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनेगा। ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक उद्योग का विकास होगा। जीरो बजट फार्मिंग होगी। बजट प्रावधान में कुल बजट 27.86 लाख करोड के बजट में कृषि बजट 1 लाख 3० हजार करोड़ का यानी 4.6 फीसद आवंटन मिला। उसमें भी 75००० करोड़ रुपये 'प्रधानमंत्री किसान योजना' मद का आवंटन था। अन्य योजनाओं के लिए महज 55 हजार करोड़ ही शेष रहा। बजट में पाया गया है कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, सूखे के समस्याओं के समाधान, हर खेत को पानी, आर्गेनिक खेती, कृषि विपणन पर एकीकृत योजना के बजट में कटौती कर दी गई। हर वर्ष 22 फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय होता है। एमएसपी सीटू फार्मले पर तय करने की बात दूर कुछ वस्तु की कीमत लागत से भी कम और कुछ में तो कुछ परिवर्तन नहीं कर जस-का-तस छोड़ दिया गया।

संपादकीय

बजट के लक्ष्य

कहना कठिन है कि मोदी सरकार की दूसरी पारी का दूसरा बजट क्रांतिकारी बदलावों का वाहक बनेगा। यह सीमित संसाधनों और आंकड़ों की बाजीगरी से अर्थव्यवस्था की सुस्ती को दूर करने का प्रयास है। निस्संदेह सरकार की प्राथमिकता कृषि क्षेत्र रहा। यह राजनीतिक दृष्टि से भी सुविधाजनक है और विसंगतियों से जूझती खेती में प्राणवायु संचार का प्रयास भी है। निस्संदेह मंदी के दौर से गुजर रहे देश की एक हकीकत यह भी है कि सेवा व उत्पादन क्षेत्र की चालीस फीसदी खपत ग्रामीण क्षेत्र में ही है, जो मूलतः कृषि के दायरे में आता है। ऐसे में कृषि क्षेत्र की दशा सुधारने और ग्रामीण उपभोक्ता की क्रय-शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया गया है। निस्संदेह सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भूमिका घटती जा रही है। मगर देश की बड़ी आबादी आज भी कृषि आधारित रोजगार पर निर्भर है। सच यह भी है कि पिछले बजट में कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित धन खर्च ही नहीं हो पाया। खासकर किसान सम्मान योजना का एक बड़ा हिस्सा किसान के पास पर्याप्त कागज न होने के कारण आवंटित नहीं हो पाया। मौजूदा दौर में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्यान्न उत्पादन के दाम लगातार गिर रहे हैं, कृषि में बड़ा निवेश अर्थव्यवस्था के दूरगामी लक्ष्यों को पाने में सहायक नहीं हो सकता, फिर भी सरकार ने निवेश बढ़ाया है। निस्संदेह कृषि कार्य में घटते रुझान को दूर करने को प्राथमिकता दी गई है। निस्संदेह अब वह समय नहीं रहा कि बजट में किस वर्ग को क्या मुफ्त मिला या छूट मिली। सरकार के आय के संसाधन सीमित हैं और उसकी प्राथमिकता राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की रही है। सरकार के सामने वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम भी है और देश के सामने उत्पन्न आर्थिक चुनौतियां भी। सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में निवेश इस मकसद से बढ़ाया है ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें और क्रय शक्ति बढ़ने से आर्थिकी को गति मिले। साथ ही पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी सरकार के सामने है, जिसके लिये वह बड़े पैमाने पर विनिवेश की तरफ बढ़ रही है। जीवन बीमा निगम में सरकार की हिस्सेदारी बेचने का फैसला भी इसी कड़ी का हिस्सा है। बहरहाल, मध्य वर्ग की आयकर में छूट की आकांक्षा पूरी नहीं हो पायी है। देश में पहली बार दो तरह की कर प्रणालियों को लाने का फैसला किया गया है। जिसकी जटिलताएं करदाता को निश्चिय ही पसोपेश में डालेंगी। आयकर घोषणापत्र लाने और कानून बनाने से आम करदाता को कितना लाभ होगा, कहना आसान नहीं है। आयकर की दरें घटाने के अलग तरह के प्रस्ताव को समझने में वक्त लग सकता है। शेयर बाजार की नाराजगी बताती है कि सरकार ने खर्च में कंजूसी बरती है और राहत-रियायतों में कई तरह के किंतु-परंतु शामिल हैं। लेकिन यह तय है कि सरकार के वादों-इरादों का ज्यादा बोझ सरकारी खजाने पर नहीं पड़ेगा। अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयासों के साथ ही सरकार राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के प्रयास कर सकेगी। लेकिन वहीं एक बात यह भी है कि सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के लिये ऐसा कुछ नहीं किया है जो बड़े बदलावों का वाहक बन सके।

सू- दोकू क्र.028

	2			6			1	
3			4			2		
							6	
6					4			
	9		5			6		1
4		3			9			2
	8		2				7	
1		2		4		9		6

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.27 का हल

8	7	6	9	5	1	2	3	4
1	3	9	2	8	4	5	6	7
4	5	2	3	7	6	9	1	8
2	8	5	4	6	7	1	9	3
3	1	7	8	9	2	4	5	6
6	9	4	1	3	5	7	8	2
9	4	1	6	2	8	3	7	5
7	2	8	5	1	3	6	4	9
5	6	3	7	4	9	8	2	1

सीएए विरोधी आंदोलन : बदल रही है राजनीतिक फिजा

अरुण माहेश्वरी

नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन की गहराई और विस्तार ने भारत को आज सचमुच बदल डाला है ।

सिर्फ छह महीने पहले पूर्ण बहुमत से चुन कर आए नरेन्द्र मोदी और उनके विश्वासपात्र अमित शाह का आज देश के आठ राज्यों में तो जैसे प्रवेश ही निषिद्ध हो गया है और एक भी ऐसा राज्य नहीं बचा है जहां वे भारी विरोध की आशंका से मुक्त हो कर निश्चिंतता से घूम-फिर सकते हो। देश हो या विदेश हर जगह उनके लिए काले झंडे तैयार पड़े हैं।

दुनिया के राजनीतिक इतिहास में हम इसे स्वयं में एक विरल घटना के रूप में देख पा रहे हैं, जैसे कभी भारत का स्वतंत्रता आंदोलन भी स्वयं में एक विरल संघर्ष था। राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है कि वह कहीं भी कभी हू-ब-हू दोहराया नहीं जा सकता है। यह विज्ञान का कोई प्रयोग या गणित का समीकरण नहीं है जिसे आप बार-बार दोहरा कर एक ही परिणाम हासिल कर सकते हैं।

राजनीति के घटनाक्रमों में कितनी ही एकसूत्रता क्यों न दिखाई दे, हर घटना अपने में अद्वितीय होती है। इसीलिए भारत में पूरे देश के पैमाने पर अभी जो लहर उठी है, वह भी अद्वितीय है। मोदी ने अपने शासन के इस दूसरे दौर में अपनी बुद्धि के अनुसार आजादी के अधूरे कामों को पूरा करने के इरादों से राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बदलने का जो संघी खेल कश्मीर से शुरू किया था, उसी का अब कुल जमा परिणाम यह दिखाई देता है कि आजादी की लड़ाई में अर्जित मूल्यों और संविधान के मूलभूत आदशरे को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देने के लिए पूरा भारत अब मचल उठा है। मोदी के जहरीले सांप्रदायिक इरादों और शाह की दमनकारी हुंकारों ने जैसे अंग्रेजों के शासन के दंश के बोध को छात्रों, नौजवानों में जिंदा कर दिया है और तमाम देशवासियों में आजादी की लड़ाई का हौसला पुनर्जीवित हो गया है।

भारत का यह महा-आलोड़न स्वयं में विरल है, क्योंकि न यह किसी कैंपस विद्रोह की अनुकृति है और न ही किसी 'अरब बसंत' की तरह का कोरा विध्वंसक तूफान। हर बीतते दिन के साथ यह आंदोलन अपने अंदर एक नये भारत का निर्माण कर रहा है। इसीलिए जो यह समझते हैं कि समय के साथ यह आंदोलन शिथिल हो जाएगा या यह किसी अंजाम तक नहीं जाएगा या इसे दमन के बल पर कुचल दिया जाएगा- वे भारी मुगालते में हैं।

इस आंदोलन में अनंत संभावनाएं है, इसकी गहराई और विस्तार का कोई ओर-छोर नहीं है और इसकी आंतरिक ऊर्जा अकूत है, इसके सारे संकेत इसी बीच मिलने लगे हैं। जो आंदोलन शुरू में असम के साथ ही भारत के चंद विश्वविद्यालयों के कैंपस से शुरू हुआ था, वह इसी बीच भारत के सभी उत्तर-पूर्व के राज्यों के शहरों, कस्बों और गांवों तक को पूरी तरह से अपनी जद में ले चुका है। बंगाल का कोई जिला केंद्र ऐसा नहीं है जहां रोजाना लाखों की संख्या में लोग प्रदर्शन न कर रहे हों। पूरा दक्षिण भारत आज इसके विरोध में उबल रहा है। पश्चिम में महाराष्ट्र, गोवा, और गुजरात में भी भारी प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार और उड़ीसा भी पीछे नजर नहीं आते। उत्तर प्रदेश का सच किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली तो आंदोलन का एक केंद्र-स्थल बना हुआ है। देश के तकरीबन 16 राज्यों की सरकारों ने ऐलान कर दिया है कि उनके राज्यों में इस नागरिकता कानून को लागू नहीं किया जाएगा।

केरल की राज्य सरकार ने तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर केंद्र सरकार को ललकारा है। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने भी धारा 144 के प्रयोग और इंटरनेट सेवाओं पर रोक के बारे में एक ऐतिहासिक फैसला देकर मोदी सरकार को थोड़ा असहज कर दिया। मोदी अपनी जिन संघ वाली बुराइयों को अंधेरे में रखना चाहते थे, उनकी इन कोशिशों को ही उन्होंने प्रकाश में ला दिया है। मोदी और शाह बिना लाग-लपेट के इस बात को दोहराते रहते हैं कि सीएए नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं। जबकि आज देश का हर समझदार आदमी जानता है कि इस कानून से धर्म के आधार पर भेद-भाव की जो जमीन तैयार की गई है, वही तो शुद्ध वंचना है।